



दिनांक: 18.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

एटीएस युनिट सहारनपुर व थाना देवबन्द संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बम विस्फोट के 30 वर्ष से

वांछित 25000 रु. का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.1993 को मुकदमा वादी उ०नि० श्री सैय्यद मुन्नवर हुसैन थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात मुल्जिम द्वारा वर्ष 1993 में मौहल्ला युनियन तिराहा कस्बा देवबंद पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की नियत से ग्रेनेड फेका गया था, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मों का० 1071 कैन्हया लाल, का० 113 अर्जुमन अली व पब्लिक के श्री जय प्रकाश पुत्र मनफूल सैनी निवासी मोहल्ला पठानपुरा, कस्बा व थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर, सुखबीर पुत्र रूपलाल निवासी कस्बा व थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर घायल हुए थे। जिस संबंध में थाना देवबंद पर मु०अ०स० 507/1993 धारा 307 भादवि व 3 विस्फोटक पदार्थ अधि० पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमे में अभि० नजीर अहमद वानी उर्फ मुस्ताक अहमद वानी नि० इन्जक शरीफाबाद थाना पारिमपुरा जिला बडगांव जम्मू कश्मीर प्रकाश में आया जो दिनांक 26.05.1994 को फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में प्रकाश में आया कि अभियुक्त आतंक वादी संगठन हिजबुल मुजाहीदीन का सक्रिय सदस्य था। जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कस्बा देवबंद में रह रहा था, जिसने आम जन में भय व आतंक की भावना बैठाने के लिए ग्रेनेड फेका था जिससे बरामद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर थाना देवबंद पर मु०अ०स० 265/94 धारा 467/468/471 भादवि पंजीकृत कर उपरोक्त अभि० को दोनो मुकदमों में मा० न्या० के समक्ष पेश किया गया मा० न्या० से वर्ष 1994 में जमानत के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त पिछले 30 वर्ष से मा० न्या० के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था अभि० अपना नाम पता बदल कर रह रहा था जिस संबंध में मा० न्या० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दि० 20.05.2024 को अभियुक्त के स्थाई वारंट जारी किये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा स्थाई वारंट का संज्ञान लेकर वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25000 रु का इनाम घोषित करते हुए गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में थाना देवबंद व सर्विलांस सैल से एक टीम गठित कर एटीएस की मदद लेते हुए उपरोक्त अभि० की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया दिनांक 17.11.2024 को सुरागरसी पतारसी कर अभियुक्त के हाल पते की जानकारी कर अभियुक्त नजीर अहमद वानी उर्फ मुस्ताक अहमद वानी उर्फ मुस्तफा उर्फ जावेद इकबाल पुत्र असदउल्ला वानी नि० इन्जक शरीफाबाद थाना पारिमपुरा जिला बडगांव जम्मू कश्मीर को उसके हाल पता गांव हाकर मुल्ला निकट कस्बा सोईबुघ थाना बडगांव जिला बडगांव जम्मू कश्मीर से मुखबिर की सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नजीर अहमद वानी उर्फ मुस्ताक अहमद वानी उर्फ मुस्तफा उर्फ जावेद इकबाल पुत्र असदउल्ला वानी नि० इन्जक शरीफाबाद थाना पारिमपुरा जिला बडगांव जम्मू कश्मीर, हाल पता गांव हाकर मुल्ला निकट कस्बा सोईबुद्ध थाना बडगांव जिला बडगांव जम्मू कश्मीर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक सुधीर उज्ज्वल प्रभारी एटीएस फील्ड यूनिट, सहारनपुर
2. निरीक्षक अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 विनोद कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल सहारनपुर ।
4. हेड कांस्टेबल 158 जितेंद्र कुमार थाना देवबंद स0पुर
5. हेड कांस्टेबल 902 गोविन्द सिंह थाना देवबन्द जनपद स0पुर ।
6. है0का0 पुष्पराज सिंह एटीएस फील्ड यूनिट, सहारनपुर
7. है0का0 दीपक कुमार एटीएस फील्ड यूनिट, सहारनपुर
8. है0का0 तौहिद अहमद खान एटीएस फील्ड यूनिट, सहारनपुर
9. है0का0 अनुज कुमार एटीएस फील्ड यूनिट, सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 18.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग/लूट के मुकदमें में वांछित 15,000/- रुपये के इनामी सहित 02 अन्तर्राज्यीय शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 चैन के टुकड़े (पीली धातु), 01 मोसा, 02 चाकू व 12,300/- रुपये नगद बरामदा

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.2024 को वादी मयंक गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की माता के गले से चैन लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 384/24 धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.11.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 02 अन्तर्राज्यीय शातिर लुटेरे/अभियुक्तगण 1. इरशाद उर्फ लड्डू पुत्र शहीद निवासी गली न0 7 किदवई नगर निकट मक्की मस्जिद थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर 2. अँकुर उर्फ पंकज पुत्र महावीर उर्फ भीम निवासी ग्राम बासौली उर्फ नसौली थाना रमाला जनपद बागपत को विश्वास नगर सकलापुरी रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से दो चाकू दो चैन (पीली धातु) के टुकड़े, एक मोटरसाइकिल सीडी डीलैक्स, 12300/- रुपये बरामद हुए। अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 616/24 धारा 303(2), बीएनएस का पंजीकृत है। टूटी हुई सोने की चैन के टुकड़े के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 384/24 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी व बरामद दो नाजायज चाकू के आधार पर थाना पर मु0अ0सं0 443 /24 धारा 336(2) बीएनएस, 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद उर्फ लड्डू पुत्र शहीद निवासी गली न0 7 किदवई नगर निकट मक्की मस्जिद थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर पर थाना मण्डी से 15,000/- रुपये का ईनाम घोषित था गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम दोनो ने बेहट बस अड्डे के पास से एक महिला की गले से सोने की चैन छिनी थी। तथा देवबन्द से भी एक मोटरसाइकिल चोरी की थी व दो महिलाओं के गले से भी चैन लूटी थी व मु0नगर में थाना छपार में राह चलते दो मोटरसाइकिल सवारों से भी रुपये लूटे थे तथा अभियुक्तों द्वारा कस्बा शामली व शहर बिजनौर में भी लूट की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इरशाद उर्फ लड्डू पुत्र शहीद निवासी गली न0 7 किदवई नगर निकट मक्की मस्जिद थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर
2. अँकुर उर्फ पंकज पुत्र महावीर उर्फ भीम निवासी ग्राम बासौली उर्फ नसौली थाना रमाला जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण:-

- 02 चैन के टुकड़े (पीली धातु)
- 01 मोटरसाइकिल सीडी डीलैक्स
- 02 नाजायज चाकू
- 12300/- रुपये नकद

अभियुक्त इरशाद उर्फ लड्डू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 334/15 धारा 25 आयुध अधि0 थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 331/15 धारा 399,402,414 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 239/15 धारा 395,397 थाना गढमुक्तेश्वर हापुड
4. मु0अ0सं0 277/15 धारा 379,411,420 थाना गंगनहर हरिद्वार उत्तराखण्ड
5. मु0अ0सं0 1168/15 धारा 364,302,201 भा0द0वि0 कोतवाली नगर मु0नगर
6. मु0अ0सं0 237/14 धारा 395,397 भा0द0वि0 थाना दोघट जनपद बागपत
7. मु0अ0सं0 225/13 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना गंगनहर हरिद्वार उत्तराखण्ड
8. मु0अ0सं0 1099/12 धारा 2/3 गुण्डा अधिनियम थाना नई मण्डी मु0नगर
9. मु0अ0सं0 208/15 धारा 379, 411 गढमुक्तेश्वर जिला हापुड
10. मु0अ0सं0 1354/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर मु0नगर
11. मु0अ0सं0 548/12 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना नई मण्डी मु0नगर
12. मु0अ0सं0 334/2009 धारा 307 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 313/2009 धारा 380 , 411 ,454 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मु0नगर
14. मु0अ0सं0 679/11 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना नई मण्डी मु0नगर
15. मु0अ0सं0 500/12 धारा 380,411 भाद0वि0 थाना नई मण्डी मु0नगर
16. मु0अ0सं0 553/2000 धारा 398,401,307 भा0द0वि0 कोतवाली नगर मु0नगर
17. मु0अ0सं0 554/2000 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर मु0नगर
18. मु0अ0सं0 550/2000 धारा 302 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मु0नगर
19. मु0अ0सं0 384/24 धारा 304 बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 616/24 धारा 303(2), बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर
21. मु0अ0सं0 594/24 धारा 309(4) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर
22. मु0अ0सं0 308/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना छपार मु0नगर

अभियुक्त अंकुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 7/21 धारा 302 भा0द0वि0 थाना रमाला बागपत
2. मु0अ0सं0 15/21 धारा 3,25,27 आयुध अधिनियम थाना रमाला बागपत
3. मु0अ0सं0 379/16 धारा 307 भा0द0वि0 तितावी जनपद मु0नगर
4. मु0अ0सं0 384/24 धारा 304 बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 616/24 धारा 303(2), बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 308/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना छपार मु0नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
7. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
8. का0 1460 अंकित तोमर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 18.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अफजल उर्फ अब्बल पुत्र अशरफ निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर सम्बंधित वाद स0 1352/22 मु0अ0स0 158/19 धारा 363/366/506 भा0द0वि0 चालानी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को ग्राम रसूलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

अफजल उर्फ अब्बल पुत्र अशरफ निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 556 सनव्वर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. हो0गा0 1432 राजकुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 18.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम

अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.11.2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 **अभियुक्त मुबारिक पुत्र स्व0 इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को ग्राम दुमझेडा से ग्राम घोडोपीपली रोड पर पुल के पास टिन शैड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 256/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मुबारिक पुत्र स्व0 इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहास :-

01. मु0अ0सं0 387/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
02. मु0अ0सं0 43/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
03. मु0अ0सं0 256/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर

बरामदगी :-

➤ 10 ग्राम नाजायज स्मैक,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
- 2- है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
- 3- का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक: 18.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित /वारण्टी/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 18.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 03 वारंटी **अभियुक्तगण 1.सतीश पुत्र अजब सिंह नि0 ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 4734/24 मु0अ0सं0 461/16 धारा 452/323/504/506 भा0द0वि0 चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा0न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर, **2.अनिल पुत्र रेशनलाल निवासी ग्राम चढाव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 1643/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना तीतरो निर्गत मा0न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) चतुर्थ ,कोर्ट सं0 33 सहारनपुर, **3.महबूब पुत्र महमूद कसाई नि0 मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 11005/24 मु0अ0सं0 33/144/98 धारा 5/8 गौवध अधि0 चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा0न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर को उनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सतीश पुत्र अजब सिंह नि0 ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. अनिल पुत्र रेशनलाल निवासी ग्राम चढाव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. महबूब पुत्र महमूद कसाई नि0 मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 127 धीरज तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 18.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.10.2024 को वादी शाहनजर पुत्र मौहम्मद इकराम नि. खानआलमपुर पीपलवाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल चोरी किये जाने के सम्बन्ध में देकर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 631/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.11.2024 मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त शोकेंद्र उर्फ शौकीन पुत्र निरंजन निवासी हैवा थाना छपरौली जिला बागपत को गांधी पार्क की ओर से गंगोह अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से मु0अ0सं0 631/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल बरामद हुई, बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि, यह मोटर साइकिल मैंने दिवाली से 2-3 दिन पहले बड़ा डाक घर रेलवे रोड सहारनपुर से चोरी की थी। जिसे मैं चोरी-छिपे चला रहा था, आज आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शोकेंद्र उर्फ शौकीन पुत्र निरंजन निवासी हैवा थाना छपरौली जिला बागपत

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजि0सं0- UP-11 AQ-2041 चैसीस नम्बर- MBLHAI0A9EHC04429, व इंजन नम्बर- HA10EJEHC55373

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार स0पुर.
2. है0का0 945 प्रवीण थाना सदर बाजार स0पुर .
3. का0283 हिमांशु थाना सदर बाजार



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 18.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई

01 कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.11.2024 को वादी श्री कासिफ पुत्र श्री अतीक निवासी माहीपुरा हबीबगढ थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 04/05-11-2024 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा वादी की सेन्ट्रो कार रंग सफेद रजि0 नं0- UP 15 AU 7942 जो आसिफ पुत्र श्री मोईनुद्दीन निवासी मौहल्ला मीरदगान कस्बा व थाना सरधना मेरठ के नाम पंजीकृत है को अयोध्यापुरम कालोनी से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किया गया। तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 289/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में में वांछित **अभियुक्त अर्जुन पुत्र नेकीराम निवासी मोहम्मदपुर माफी उर्फ हसनपुर चुंगी चौकी वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को एसबीडी अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी गाडी सैन्ट्रो कार बरामद की गयी तथा घटना मे प्रयुक्त की गयी इर्टिगा गाडी रजि0 न0 UK 07FS 5233 को भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र नेकीराम नि0 मोहम्मदपुर माफी उर्फ हसनपुर चुंगी चौकी वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 सेन्ट्रो कार रंग सफेद रजि0 नं0- UP 15 AU 7942
- 01 इर्टिगा गाडी रजि0 न0 UK 07FS 5233

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 953 हरेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।